न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 05/2017

अपीलार्थीगण	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
स्व. खीयांराम पुत्र प्रतापराम माली के उत्तराधिकारी :– 1– श्रीमती रेठनी पत्नी स्व. खीयाराम 2– जगदीश पुत्र स्व. खीयाराम 3– मालाराम पुत्र स्व. खीयाराम 4– सत्यनारायण पुत्र स्व. खीयाराम 5– सोहनलाल पुत्र स्व. खीयाराम 6– हरीसिंह पुत्र स्व. खीयाराम 7– दिनेश पुत्र स्व. खीयाराम सभी जाति माली निवासी ग्राम चौखा–मोकलावास, तहसील व जिला जोधपुर। 8– श्रीमती चम्पादेवी पत्नी मोहनलाल पुत्री स्व.खीयाराम जाति माली निवासी रोहिट 9– श्रीमती रामेश्वरी पत्नी दलाराम पुत्री स्व. खीयाराम जाति माली निवासी रोहिट 10– श्रीमती शांतिदेवी पत्नी पुखराज पुत्री स्व.खीयाराम जाति माली निवासी रोहिट तहसील रोहिट, जिला पाली। 11– श्रीमती तिस्तादेवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री स्व. खीयाराम निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 12– श्रीमती किनुदेवी पत्नी पदमसिंह पुत्री स्व.खीयाराम निवासी ग्राम गोलासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1– जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर। 2– तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या– 918 दिनांक 09.07.2012 ग्राम मोकलावास जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर खेत खसरा सं. 484 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम मोकलावास, पटवार क्षेत्र रोहिला कला, भू.अ.नि. क्षेत्र केरू (वर्तमान बागां) तहसील व जिला जोधपुर का नामान्तरकरण रेस्पो. संख्या–1 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया।

– – –

राज.

लगातार...

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 26.12.2017

1– श्री अनिल राठी अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता (प्रत्यर्थीपक्ष–1)
3– सरकारी पेरोकार अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मोकलावास तहसील जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि की खातेदारी राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के प्रकरण सं. अपील/डिक्री/जोधपुर/086/ 2010 निर्णय दिनांक 30.11.2010 को अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष खीयाराम पुत्र प्रतापराम को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी तहसीलदार जोधपुर ने प्रत्यर्थीपक्ष–एक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 918 दिनांक 09.07.2012 स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष–1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी–2 तहसीलदार जोधपुर का नोाटिस बाद तामील लौटा। मूल अभिलेख तलब करने पर तहसीलदार जोधपुर ने जरिये पत्रांक 5618 दिनांक 10.10.17 के अवगत कराया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण हलका पटवारी के पास उपलब्ध नहीं है तथा उक्त नामान्तरकरण के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व संभागीय आयुक्त जोधपुर में भी वाद विचाराधीन है, संभवत उक्त प्रकरणों में पत्रावलियों के साथ मूल नामान्तरकरण लगा हुओ हो। अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय में विचाराधीन रही अपील सं. 72/12 मिथलेश बनाम सरकार के संलग्न मूल नामान्तरकरण से ली गई अतः मूल रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं समझते हुए दिनांक 13.12.2017 को उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि वाके ग्राम मोकलावास तहसील जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष खीयाराम पुत्र प्रतापराम का पुराना कब्जा काश्त की भूमि थी जिस पर खीयाराम ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए राजस्व वाद सं. 109/2008 खीयाराम बनाम सरकार सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बिलाड़ा, कैम्प जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद को सहायक कलक्टर बिलाड़ा कैम्प जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2010 को निरस्त कर दिया गया। बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष

लगातार....

स्व.खीयाराम ने उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.10 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर के समक्ष अपील दायर की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.11.2010 द्वारा अपीलार्थी के पूर्व पुरूष खीयाराम की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.10 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त ख.नं. 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं राजस्व रिकॉर्ड में खीयाराम का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश भी दिया गया।

बहस के निरन्तर में कहा कि स्व. खीयाराम ने अपने जीवनकाल में कई बार तहसीलदार जोधपुर से सम्पर्क कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2010 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नाम बहैसियत खातेदार–काश्तकार इन्द्राज करने की इस्तदुआ की, परन्तु तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम इन्द्राज नहीं किया, न आदिनांक तक निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील दायर की गई। खीयाराम का वर्ष 2013 में देहान्त हो जाने के बाद अपीलार्थीपक्ष भी तहसीलदार जोधपुर के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने की इस्तदुआ की, परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्षेत्रीय विधायक को भी एक प्रतिवेदन दिया जो राजस्व मंत्री महो. को प्रेषित किया गया। राजस्व मंत्री महोदय ने अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को श्रीमान् कलक्टर जोधपुर को अग्रेषित किया एवं कलक्टर जोधपुर ने प्रकरण के तथ्यों की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर से मांगी गई। तहसीलदार जोधपुर ने विवादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर जोधपुर को अवगत कराया कि विवादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरणस 918 के प्रत्यथीपक्ष–एक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम स्वीकृत किया जा चुका है। बहस में कहा कि प्रथमतः राज्य सरकार एवं कलक्टर जोधपुर के आदेश स्पष्ट थे जो भूमि सरकारी हो वो जेडीए जोधपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे, जबकि विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकार खीयाराम को दिनांक 30.11.2010 को ही प्राप्त हो गये अतः अपीलार्थीगण को वर्ष 2010 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से इस भूमि का जे.डी.ए. जोधपुर के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार को पुनः कलक्टर महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं शून्य होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जावे तथा विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रत्यर्थी–एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास कब्जा है। अपीलार्थीगण को यदि खातेदारी अधिकार देने का निर्णय एवं डिक्री हुई तो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने के लिए विधिक प्रक्रिया के तहत इजराय पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए, जो अपीलार्थीपक्ष ने नहीं किया। दौराने बहस पूछा गया कि राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध जे.डी.ए. जोधपुर या तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपील पेश की या

लगातार...

नहीं, इसकी जानकारी नहीं होना कहा। बहस में आगे कहा कि तहसीलदार जोधपुर ने राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर जोधपुर के आदेशों की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार में राशि भी जमा करवाई गई। अतः अपील निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर जोधपुर केआदेश क्रमांक प.(12) (3–)राज/आवं/जेडीए/2012/4022–4030 दिनांक 22.06.12 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि वाके ग्राम मोकलावास के खातेदारी अधिकार का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2010 को अपीलार्थीगण के पूर्व पुरूष खीयाराम पुत्र प्रतापराम माली निवासी चौखा–मोकलावास के पक्ष में दी गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पेश हुई या नहीं, प्रत्यर्थीपक्ष ने स्पष्ट नहीं किया अतः जिला कलक्टर जोधपुर केआदेश क्रमांक प.(12) (3–) राज/आवं/जेडीए/2012/4022–4030 दिनांक 22.06.12 जारी होने के पहले राजकीय भूमि नहीं होने से जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि की सीमा तक स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण 918 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 484 रकबा 21.09 बीघा भूमि की सीमा तक अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है तथा पुनः पूर्व स्थिति यानि राज्य सरकार के पक्ष में भूमि रखी जावे। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा जब तक विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज कराने बाबत् चाराजुई नहीं की जावे, तब तक राजस्व रिकॉर्ड में उनके पक्ष में प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जावे तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2010 एवं डिक्री के विरूद्ध आप द्वारा अपील पेश की गई या नहीं, यदि नहीं की गई तो क्या कारण रहे, आप अपने उच्च अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रेषित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।